

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 06/2023

बैंक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड, दौसा राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी महेश गुप्ता

...प्रार्थी

बनाम

श्री बाबूलाल उर्फ बजरंगलाल सैन पुत्र श्री बन्जी सैन के समस्त विधिक उत्तराधिकारीगण

(अप्रार्थी ऋणी)

1. श्री कुलदीप सैन पुत्र स्व. श्री बाबूलाल उर्फ बजरंगलाल सैन (श्री बाबूलाल उर्फ बजरंगलाल सैन का विधिक उत्तराधिकारी)
पता-भाजु का मौहल्ला, छोटा अनाज बाजार, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
2. श्री विष्णुदत्त सैन पुत्र स्व. श्री बाबूलाल उर्फ बजरंगलाल सैन (श्री बाबूलाल उर्फ बजरंगलाल सैन का विधिक उत्तराधिकारी)
पता-भाजु का मौहल्ला, छोटा अनाज बाजार, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
3. श्री महेश सैन पुत्र स्व. श्री बाबूलाल उर्फ बजरंगलाल सैन (श्री बाबूलाल उर्फ बजरंगलाल सैन का विधिक उत्तराधिकारी)
पता-भाजु का मौहल्ला, छोटा अनाज बाजार, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
4. श्री विनोद कुमार सैन पुत्र श्री बजरंग लाल सैन
पता-भाजु का मौहल्ला, छोटा अनाज बाजार, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा



प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुदर्गी बाबत।

उपस्थित : श्री जगत सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 25.01.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 6,55,000/- (रूपये छह लाख पचपन हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने व समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी व जमानतदारों को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री बाबूलाल सैन उर्फ बजरंग लाल सैन पुत्र श्री बन्जी सैन की भाजु का मौहल्ला, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा स्थित आवासीय संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 82 वर्गगज है तथा श्री बाबूलाल सैन उर्फ बजरंग लाल सैन पुत्र श्री बन्जी सैन की भाजु का मौहल्ला, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा स्थित आवासीय संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 74 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फौसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

• आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा